


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 171 /2020 दिनांक : 15.12.2020


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ./149/2020 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा श्रीमती मीना अवस्थी (RJ0443), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-03, भरतपुर को दिनांक 12.10.2020 से 12.11.2020 तक 32 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 10.10.2020 से 11.10.2020 एवं 13.11.2020 से 16.11.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 12.10.2020 से 13.10.2020 तक 02 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

14.12.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/76/2002/ 5829 दिनांक : 15.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 5399 दिनांक 04.12.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती मीना अवस्थी (RJ0443), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-03, भरतपुर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-03, भरतपुर।
5. श्री अशोक कुमार टाक (RJ0372), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04, भरतपुर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 04, भरतपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार